कार्मिक (क-3) विभाग

क्रमांकः प.9(2)(59)कार्मिक/क-3/97/पार्ट-1 जयपुर, दिनांक 19.5.03

1. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव,
2. समस्त सम्भागीय आयुक्त,
3. समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलक्टरों सहित)

परिपत्र

विषयः- माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशाखा एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य के प्रकरण के निर्णय में दिए गए निर्देशों की अनुपालना।

इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 23.7.01 द्वारा विशाखा एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों की अक्षरशः पालना हेतु शिकायत समितियां गठित करने एवं प्राप्त शिकायतों पर निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जाकर कार्यवाही करने के विस्तृत दिशा-निर्देश प्रसारित किये गये थे और परिपत्र के साथ में उच्चतम न्यायालय द्वारा जो दिशा-निर्देश निर्धारित किये गये थे, उनकी प्रति भी संलग्न की गई थी।

मा. न्यायालय के निर्णय की अनुपालना की समीक्षा करने पर ये तथ्य भी ध्यान में आये हैं कि सभी विभागों/कार्यालयों में मा. न्यायालय के दिशा-निर्देशों और इस विभाग के परिपत्र दिनांक 23.7.01 के अनुसरण में शिकायत समितियां गठित नहीं हुई है। यह भी पाया गया कि मा. न्यायालय के दिशा-निर्देशों के उद्धरण परिपत्र दिनांक 23.7.01 के साथ संलग्न कर भिजवाये गये थे लेकिन उनका भी अक्षरशः पालन नहीं हो सका। इस संदर्भ में उच्चस्तरीय समीक्षा करने पर इस स्थिति को गम्भीर माना गया।

पश्चातवर्ती परिपत्र दिनांक 10.10.02 द्वारा पुनः यह प्रसारित किया गया था कि:-

1. परिपत्र दिनांक 23.7.01 की अनुपालना में विभिन्न विभागों से शिकायत समितियां गठित करने के आदेश प्राप्त हो रहे हैं। इन आदेशों में अधिकतर शिकायत समितियों में पुरुष अधिकारियों को ही अध्यक्ष बनाया जा रहा है और महिला सदस्यों की संख्या कम है। इसके अतिरिक्त इन समितियों में स्वयंसेवी संगठनों और अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधियों की संख्या भी कम है।

2. इस संदर्भ में राज. राज्य महिला आयोग ने भी राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया है कि कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 23.7.01 के अनुसरण में गठित शिकायत समितियों में स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों को सम्मिलित नहीं किया गया है।

3. परिपत्र दिनांक 23.7.01 के साथ में उच्चतम न्यायालय के शिकायत समिति गठन करने के बारे में जारी दिशा-निर्देश में बिन्दू संख्या 7 निम्न प्रकार से है:-

7. Complaints Committee:

The complaint mechanism, referred to in (6) above, should be adequate to provide, where necessary, a Complaint Committee, a special conunsellor or other support service, including the maintenance of confidentiality.

The Complaint Committee should be headed by a woman and not less than half of its member should be woman. Further, to prevent the possibility of any undue pressure of influence from senior levels, such Complaints Committee should involve a third party, either NGO or other body who is familiar with the issue of sexual harassment.

4. उक्त दिशा निर्देशों की विभागों, कार्यालयों एवं राजकीय उपकमों द्वारा अक्षरशः पालना नहीं की गई है, ऐसा उनके द्वारा गठित समितियों के आदेशों से विदित होता है।

अतः समस्त विभागों, कार्यालयों एवं राजकीय उपकमों से यह अपेक्षा है कि। मा. उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देश जो परिपत्र दिनांक 23.7.01 एवं 10.10.02 द्वारा भी आपको अग्रेषित किये गये हैं, की अक्षरशः पालना की जावे और जिन विभागों में अब तक शिकायत समितियां निर्धारित मानदण्डों सहित गठित नहीं की गई है, प्रत्येक स्थिति में दिनांक 30.5.03 तक आवश्यक रूप से गठित की जावे।

समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिवगण से विशेष रूप से यह अनुरोध है कि उनके अधीन विभागाध्यक्ष एवं अन्य अधिनस्थ कार्यालयों में जो शिकायत समितियां गठित की गई हैं, उनकी सूचना एकत्रित करवाकर इसविभाग को दिनांक 7.6.03 तक आवश्यक रूप से प्रेषित करने की व्यवस्था करावें।

(सी.एम.मीना)
शासन सचिव